राजस्थान सरकार

स्वायत शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक प.10(न.पा.)(गठन)(   )(ब.धो.)डीएलबी / 23 / 2634   दिनांक 27 अगस्त 2024

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.10(न.पा.)(गठन)(   )(ब.धो.)डीएलबी / 23 / 4351–4390 दिनांक 28 / 8 / 2023 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क)(i)एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत केलवाडा की सीमा में आने वाले राजस्व ग्राम केलवाडा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (केलवाडा, दांता, छिछरोनी, ख्यावदा, उनी, पहाडीजागीर, कलोलियॉ एवं पैनावादा) को सम्मिलित करते हुए नवगठित नगरपालिका केलवाडा चतुर्थ श्रेणी घोषित किया गया था। साथ ही विभागीय समसंख्यक संशोधित अधिसूचना क्रमांक प.10(न.पा.)(गठन)(   )(ब.धो.)डीएलबी / 23 / 4621–4660 दिनांक 20 / 09 / 2023 के द्वारा पूर्व की अधिसूचना में नगर पालिका केलवाडा की अधिसूचित सीमा क्षेत्र में ग्राम पंचायत केलवाडा, ग्राम पंचायत दांता, ग्राम पंचायत ऊनी की सीमा में आने वाले राजस्व ग्रामों एवं ग्राम पंचायत वाल्दा (आंशिक) का राजस्व ग्राम पेनावदा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नवगठित नगर पालिका केलवाडा की सीमा में संशोधन किया गया था ।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क)(i)एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.10(न.पा.)(गठन)(   )(ब.धो.)डीएलबी / 23 / 4351–4390 दिनांक 28 / 8 / 2023 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक प.10(न.पा.)(गठन)(   )(ब.धो.)डीएलबी / 23 / 4621–4660 दिनांक 20 / 09 / 2023 को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है। नगर पालिका केलवाडा के क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायतें एवं राजस्व ग्राम पूर्ववत पंचायत का भाग रहेगें तथा पंचायत केलवाडा यथावत कार्यरत रहेगी ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.धो.)डीएलबी/23/26,32-268 दिनांक 27 अगस्त 2024

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त सचिव (ओ.पी.बी.)मुख्य मंत्री कार्यालय डीटीएस 835 दि.26.7.24 के संदर्भ में ।
5. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
8. सचिव/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगर पालिका केलवाडा के क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायतें एवं राजस्व ग्राम पूर्ववत पंचायत का भाग रहेगें तथा पंचायत केलवाडा यथावत कार्यरत में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा में सम्मिलित किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करावें एवं की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
9. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर/निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त कोटा/जिला कलक्टर बारां (राजस्थान)।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर/पी.आर.निदेशालय।
12. श्री जी.एस.गिल, अतिरिक्त महाधिवक्ता,राज. उच्च न्यायालय जयपुर को भेजकर निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका 16237/2023 में जवाब प्रस्तुत किया जाकर याचिका का निस्तारण कराया जाने का श्रम करावें ।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. वित्तीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय राज. जयपुर।
15. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
16. अधिशासी अधिकारी नवगठित नगर पालिका केलवाडा जिला बारां को भेजकर लेख है कि अतिरिक्त महाधिवक्ता से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाकर याचिका का निस्तारण कराया जावें ।
17. नोडल अधिकारी, वेबसाइट, निदेशालय (IT cell) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. सरपंच/उपसरपंच/सचिव, सबंधित ग्राम पंचायत केलवाडा (बारां), दांता, ऊनी, बाल्दा जिला बारां (राज.)।
19. सुरक्षित पत्रावली।

(लेखराज जाग्रत)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी